कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 93 / तक. / वि. / टी.जी. / 2001 भोपाल, दिनांक 11.01. 2001

प्रति,

समस्त कलेकटर,
मध्यप्रदेश

विषयः स्थानीय संस्थाओं, ग्राम पंचायतों तथा राजस्व अधिकारियों की नामान्तरण पंजियों की जांच कराने बावत्।

––0––

जैसा कि आपको विदित है, संपत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्रावधानों के अनुसार एक सौ रूपये से अधिक मूल्य संपत्ति का हस्तांतरण पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर किया जाना कानूनी बाध्यता है।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी लोक अधिकारी किसी ऐसे दस्तावेज पर न तो कोई कार्यवाही करेगा तथा न ही इसे साक्ष्य में ग्राहय करेगा, जिस पर कि उचित स्टाम्प शुल्क न चुकाया गया हो। किन्तु यह देखने में आया है कि कतपय लोक अधिकारी बिना इस तथ्य का परीक्षण किए कि दस्तावेज पर उचित स्टाम्प शुल्क चुकाया गया हो अथवा नहीं तथा यह पंजीबद्ध है अथवा नहीं, इन पर कार्यवाही कर देते हैं अथवा साक्ष्य में ग्राहय कर लेते है। परिणाम यह होता है कि राज्य शासन को प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये के स्टाम्प शुल्क पंजीयन फीस के रूप में प्राप्त हो सकने वाले राजस्व से वंचित होना पड़ता है।

उपर्युक्त प्रकार की सबसे अधिक राजस्व हानि नामान्तरण के प्रकरणों में होती है, जहाँ संबंधित अधिकारी बिना पंजीबद्ध हुए अथवा बिना सम्यक रूप से स्टाम्प लगे दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरण कर देते हैं। सच तो यह है क राज्य में पंजीबद्ध दस्तावेजों के आधार पर हानि वाले नामान्तरणों से उन नामान्तरणों की संख्या कहीं अधिक होती है जो बिना पंजीबद्ध दस्तावेजों के आधार पर किए जाते हैं। जिन राज्यों में नामान्तरण करते समय नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का समुचित परीक्षण किया जाता है, वहां पंजीबद्ध दस्तावेजों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए केरल जेसे छोटे राज्य में

जहां प्रतिवर्ष 20 लाख अधिक दस्तावेज पंजीबद्ध होते हैं, वहां मध्यप्रदेश में इनकी संख्या 5 लाख से भी कम है।

उक्त से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्य में कितने प्रकरणों में बिना पंजीबद्ध दस्तावेजों के नामान्तरण की कार्यवाही कर दी जाती है। स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस से राज्य की आय का सीधा संबंध विभाग में पंजीबद्ध होने वाले दस्तावेजों से है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में कृपया यह सुनिश्चित कराएं कि आपके जिले में स्थानीय संस्थाओं, पंचायतों एवं राजस्व विभाग द्वारा वसीयत एवं By operation of leave के आधार पर होने वाले नामन्तरणों को छोड़कर सभी नामान्तरण पंजीबद्ध दस्तावेतों के आधार पर ही किए जाएं। इस हेतु आप अपने जिले के जिला पंजीयक से इन कार्यालयों की नामान्तरा पंजियों का नियमित रूप से प्रतिमाह निरीक्षण कराएं तथा ऐसे प्रकरणों जिन में बिना पंजीबद्ध दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरण कर दिए गए हों, के संबंध में स्टाम्प शुल्क की वसूली की कायर्ववाही संपादित कराएं। कृपया इस कार्य को प्राथमिकता दें क्योंकि इसका सीधा संबंध शासन के राजस्व से है।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / 911ए / तक / टी.जी. / 2000 भोपाल दिनांक 11.01.2001

प्रतिलिपि :

1/ प्रमुख सचिव, वाणिज्यिककर विभाग को सूचनार्थ।
2/ निज–सचिव, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिककर विभाग को सूचनार्थ।
3/ समस्त जिला पंजीयक को पालनार्थ।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश